फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री अजय चौधरी पिता श्री रामपाल चौधरी नि0 A-77 नई आबादी शहीद भगत सिंह मार्ग कांकरोली जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 पत्रावली संख्या 67 / 2024

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाए जारी की गई

दिनांक 04.09.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना. लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पृष्ठांकित अपीलार्थी क्रमांकः एफ.1( )सू0अ0.05 / प्र.अ.67 / 2024 / 5012 दिनांक 28.08.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी / अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 01.07.2024 का सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आरटीआई अनुभाग को 01.07.2024 को प्राप्त हुआ है। यह है कि प्रार्थी अपलार्थी के आवेदन में इप्सित सूचना विधायक, सांसद, जिला प्रमुख के प्रोटोकोल मे किसको सिनीयरटी के आधार पर प्रोटोकोल मिलता है व इनमें से तीनों में से कौन सीनीयर प्रोटोकोल को अधिकारी है और इनको प्रोटोकोल के समय का वरीयता क्रम बताने हेतु सूचना चाही गई तथा इस कार्यालय के पत्रांक 4058 दिनांक 29.07.2024 से प्रार्थी को सूचित करते हुए अवगत कराया कि ईप्सित सूचना प्रश्नात्मक रूप में है जो सूचना के अधिकार अधिनियम 05 की धारा 2(च, एफ) में परिभाषित सूचना में नहीं आती है एवं वांछित सूचना नियम / प्रक्रिया / परिपथ से संबंधित है उक्त सूचना राज्य सरकार की वैबसाइट से जानकारी प्राप्त की जा सकती है इस संबंध में प्रार्थी को जरिये डाक से सूचना प्रेषित की गई।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना प्रश्नात्मक तथा नियम / प्रक्रिया / परिपथ से संबंधित है। जिसकी जानकारी राज्य सरकार की वैबसाइट से प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त संबंध में अपीलार्थी को सूचित किये जाने से उक्त प्रकरण खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)